राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1963/2025

शंकर लाल गुर्जर

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अति. मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग (प्रा.शि),
शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 05.03.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री जी.एस. गोतम, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले (अध्यक्ष)
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रबोधक लेवल–प्रथम के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Majhewla, से राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कुम्हारों की ढाणी, चौथ का बरवाडा में किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण करने के लिये जिला शिक्षा अधिकारी सक्षम अधिकारी नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला परिषद की जिला स्थापना समिति के अनुमोदन के पश्चात ही किया जा सकता है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 289 प्रावधानों के विपरीत जाकर किया गया है। बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी ने अपने नये पदस्थापन/स्थानान्तरित स्थान पर कार्य ग्रहण कर लिया है।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।
4. अपीलार्थी द्वारा अपने नये पदस्थापन/स्थानान्तरित स्थान पर कार्य ग्रहण कर लिया गया है, ऐसे में आलोच्य आदेश की पालना हो चुकी है। अपीलार्थी के

अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह निवेदन किया है कि अपील में उठाये गये आधारों के आधार पर अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है।

5. अपीलार्थी द्वारा किये गये निवेदन के आधार पर इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 3 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष